न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
दाण्डिक वाद सं०–238/2006
रजि नं०–600238/2006
CNR NO. UPLP01–000170–2006

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

शेरा उर्फ शेर सिंह पुत्र हीरालाल निवासी निपनिया थाना मैलानी जिला खीरी।
––––अभियुक्त।

मु०अ०सं०–44/1999
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–मैलानी, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–44/99, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण नन्दा उर्फ नन्दराम, शेरा उर्फ शेर सिंह व परभा उर्फ प्रभात के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेंप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, "नन्दा उर्फ नन्दराम पुत्र पुत्तू लाल निवासी सहाबुद्दीन पुर थाना हैदरगढ़ जिला खीरी एक सातिर किस्म का लुटेरा डकैत हत्यारा अपराधी है तथा उन्ही अपराधों को करने का आदी अपराधी है। नन्दराम अपराध करने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाया है। जिसका स्वयं सरगना है। वर्तमान समय में नन्दा उर्फ नन्द राम के गिरोह में शेरा उर्फ शेर सिंह पुत्र हीरालाल निवासी निपनिया थाना मैलानी खीरी व प्रभा उर्फ प्रभात कुमार पुत्र लाल बाबू निवासी शाहपुर थाना मोहम्मदी जिला खीरी सक्रिय सदस्य है। नन्दा उर्फ नन्दराम अपने उपरोक्त सथियों के साथ अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 एवं 22 के अदीन दण्डनीय अपराध करते करने आदी है। नन्दा उर्फ नन्दराम तथा उसके गैंग के सदस्यों द्वारा भा०दं०सं० के अन्तर्गत किये गये अपराधों का विवरम इस प्रकार है– (1)–गिरोह के सरगना नन्दा उर्फ नन्दराम ने दिनांक 17–01–99 को रात समय 11:45 बजे श्याम किशोर पुत्र पूरनलाल निवासी सिंगाहीखुर्द थाना सम्पूर्णानगर जिला खीरी अपने साथ दुर्योधन स्वास्थ पर्ववेक्षक के साथ पल्स पोलियों अभियान में ड्यूटी हेतु पी० एच०सी० बांकेगंज जीप गाड़ी नं०–UP–31A–8789 वैक्सीन कैरियर लेकर जा रहे थे कि गोला बांकेगंज रोड पर अपने साथियों शेरा उर्फ शेर सिंह पुत्र हरीलाला निवासी निपनिया, थाना मैलानी खीरी, प्रभा उर्फ प्रभात सिंह पुत्र लालबाबू निवासी शाहपुर थाना मोहम्मदी खीरी, राम सिंह पुत्र टेकन वर्मा निवासी सहाबुद्दीन पुर थाना हैदराबाद खीरी के साथ रास्ते में जीप को घर कर तमंचा से फायर कर चोट पहुंचाकर जीप में लगे वायरलेस सेट मु०–4500/– कम्बल, घड़ी, अंगूठी, जर्सी तहमद तथा सरकारी कागजात आदि लूट लिये। थाना मुकदमा पंजीकृत विवेचना की गयी, तो सभी अभियुक्त प्रकाश में आये विवेचना अभी जारी है। (2) अभियुक्तगण नन्दा उर्फ नन्दराम ने दिनांक 09–01–99 को समय सात बजे रात को मिश्रीलाल वर्मा पुत्र रूप नरायन वर्मा निवासी विश्रूबेहड़ थाना हैदराबाद, जिला खीरी की हत्या अपने साथी गंग कलन्दर उर्फ कालिका प्रसाद वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी निजाम, थाना है–दराबाद खीरी व पुतान वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी शहीदपुर थाना मितौली जिलवा खीरी साथ गोली मारकर मिश्रीलाल की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छिपा दिये। थाना हैदराबाद में मु०अ०सं०–6/99 धारा 302,201 भा०दं०सं० का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना द्वारा एस०ओ० हैदराबाद की

गयी, तो उपरोक्त लोगो का नाम प्रकाश में आया। विवेचना अभी जारी है। (3) अभियुक्त नन्दा उर्फ नन्दराम अपने गैंग के सदस्य प्रभा उर्फ प्रभात व शेरा उर्फ शेर सिंह के साथ असलहों से लैस होकर दिनांक 23–01–99 को समय 22:30 बजे रात बहद क्षेत्र ग्राम छेदीपुर में खुटार गोला मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को लूटने के उद्देश्य से सड़क पर लकड़ी पत्थर डाल कर लूट पाट करने का प्रयास करते समय एस०ओ० दिनेश कुमार सिंह थाना गैलानी अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ मौका पर पहुंचकर मय तमंचा कारतूस के साथ उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिये शेष अदम शिनाख्त जंगल में भाग गये। फर्द बरामदगी के आधार पर अ०सं०– 13/99 धारा 399,402 भा०दं०सं० अ०सं०– 14,15,16/99 धारा–25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। तमामी तफ्तीश से अभियुक्त–गण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र नं०–8, 9, 10, 11 अदालत प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। (4) अभियुक्त नन्दा उर्फ नन्दराम तथा उसके सदस्यों द्वारा लूट डकैती तथा हत्या का प्रयास आम जनता पर पड़ रहा है। जिससे आम जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है तथा नन्दा के गैंग के द्वारा किये गये छोटे–मोटे अपराधों की सूचना थाने पर देने का भी डर के कारण साहस नहीं करते है तथा इन लोगो के विरूद्ध साक्ष्य भी देने को तैयार नहीं होते है। इन लोगो का क्षेत्र में तथा आस–पास इतना आतंक व्याप्त है कि जन मानस का जीवन संकट मय हो गया है। उक्त नन्दा उर्फ नन्दराम व उसके गैंग के सहयोगी सदस्य गैंग के रूप में अपराध करने के आदी हो गये है, जो उ०प्र० गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अधीन दण्डनीय अपराध है।"

3– वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–3 के आधार पर अभियुक्तगण नन्दा उर्फ नन्दराम, शेरा उर्फ शेर सिंह व परभा उर्फ प्रभात के विरूद्ध दिनांक 30–03–99 को समय 17:55 बजे, थाना–मैलानी, जिला खीरी में मु०अ०सं०–44/99, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण नन्दा उर्फ नन्दराम, शेरा उर्फ शेर सिंह व परभा उर्फ प्रभात के विरूद्ध मु०अ०सं०–44/99, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह की पत्रावली आदेश दिनांकित 07–08–2006 के माध्यम से पृथक की गयी। इस प्रकार वर्तमान वाद में मात्र अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह का विचारण किया जा रहा है।

6– अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह के विरूद्ध दिनांक 28–03–2018 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में प्रज्ञदत्त वर्मा को परीक्षित कराया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र यथा गैंगचार्ट, तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र की औपचारिकता स्वीकार की गयी तथा दिनांक 01.06.2026 को अभियोजन के द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया है।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 व 2, तहरीर प्रदर्श क–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क–5 प्रस्तुत किया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र०सं० दिनांक 02–06–2006 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत

तथा साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

10– अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया, परन्तु अपने बचाव में अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

12– अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 30–03–99 से पूर्व भिन्न–भिन्न दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त व उसके साथियों के द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया, जिसके उद्देश्य में अभियुक्त स्वयं के या अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के लिये अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन अपराध कारित किया।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्त किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्त ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्त द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्त में से किसी एक अभियुक्त ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्त किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्त को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर

अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी,** (2001) 6 एस.सी.सी. 16, **नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य** (2004) 10 एस.सी.सी. 699, **रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (2005) 5 एस.सी.सी. 294, **एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य** (2006) 6 एस.सी.सी. 39, **राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक** (2007) 1 एस.सी.सी. 70 के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977, तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य** (2004) 10 एस.सी. सी. 562 के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्त द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे0 आई 0 सी0 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–10/99, धारा–394 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–13/99, धारा–399,402 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–15/99 धारा–25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं०–100/91 धारा–147,148,149,302,201 भा०दं०सं० का अपराध विभिन्न थानों में जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 प्रज्ञदत्त वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 14–09–18 में कथन किया है कि, "दिनांक 09 जनवरी 1999 को मेरे भाई मिश्री लाल की हत्या हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना हैदराबाद में रिपोर्ट लिखायी थी। मेरे भाई के हत्या में नन्दराम शामिल था, उसका गैंग था। मेरे भाई की हत्या निजामपुर में हुयी थी। उस समय प्रधान थे, पंचायत चल रही थी।"

22– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "नन्दराम मेरे भाई के हत्या में बन्द हुए थे और उसका मुकदमा अदालत से छूट गया था। यह रिपोर्ट मैंने अज्ञात में लिखायी थी। इस मुकदमें में पुलिस ने शेर सिंह को मुल्जिम नहीं बनाया था और न ही मेरे भाई मिश्रीलाल की हत्या में शामिल थे। शेर सिंह को जानता नहीं हूं और न ही मेरी जानकारी में शेर सिंह, नन्दराम की पार्टी के व्यक्ति नहीं थे। मेरे भाई की हत्या के मुकदमें में नन्दा उर्फ नन्दराम और कालिका मुल्जिम बनाये गये थे। इन लोगो का मुकदमा अदालत में चला था। इस मुकदमें में दोषमुक्त हो गये थे। इस गैंगस्टर के मुकदमें में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। पत्रावली देखी गयी, जिसमे केस डायरी संलग्न नहीं पायी गयी। मुझे अलादत से वारण्ट गये थे, तब मैं गवाही देने आया हूं। मुझे इस शेर सिंह के गैंगस्टर के मुकदमें की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूं। गवाह को मुख्य परीक्षा पढ़ायी गयी, तो उसने कहा, "मेरे भाई की हत्या में नन्दराम शामिल था व उसका गैंग था।" तो गवाह ने कहा कि उसका गैंग था, यह बात मैंने नहीं कही है और न ही यह बयान दिया है। उसका गैंग था, वाली बात सरकारी वकील साहब ने लिखा दी है। मैंने यह बात नहीं कहा।"

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 प्रज्ञदत्त वर्मा के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, दिनांक 09 जनवरी 1999 को उसके भाई मिश्री लाल की हत्या होना तथा उसके भाई की हत्या में नन्दराम का शामिल होना तथा उसका गैंग होना कहा गया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, "रिपोर्ट मैंने

अज्ञात में लिखायी थी। इस मुकदमें में पुलिस ने शेर सिंह को मुल्जिम नहीं बनाया था और न ही मेरे भाई मिश्रीलाल की हत्या में शामिल थे। शेर सिंह को जानता नहीं हूं और न ही मेरी जानकारी में शेर सिंह, नन्दराम की पार्टी के व्यक्ति नहीं थे।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने बयानों में स्वयं अभियुक्त शेर सिंह की संलिप्तता से इकार करते हुए कथन किया गया है कि, पुलिस ने शेर सिंह को मुल्जिम नहीं बनाया था और न ही उसके भाई मिश्रीलाल की हत्या में शामिल थे। इस प्रकार उक्त परीक्षित साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक तथा कथित आधारभूत मुकदमें में अभियुक्त की संलिप्तता साबित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि, "मुझे इस शेर सिंह के गैंगस्टर के मुकदमें की मुझे कोई जानकारी नहीं है।" इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से इस प्रकरण में भी न तो अभियुक्त की कथित घटनाक्रम की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता है और न ही अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

24– अभियोजन कथानक तथा परीक्षित साक्षी के बयानों में कहीं भी जी०डी० रवानगी के समय के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि अभियोजन द्वारा पुलिस पार्टी की रवानगी की जी०डी० को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस पार्टी की रवानगी से संबंधित जी०डी० एक ऐसा अभिलेख है, जो कि यह साबित करता है कि पुलिस पार्टी किस समय और किस तिथि को थाने से रवाना हुई थी। पुलिस पार्टी की रवानगी की दिनांक व समय साबित न होना पुलिस पार्टी की घटना स्थल पर घटना के समय की उपस्थिति को संदिग्ध बना देती है। इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधिक दृष्टान्त **Mathura Prasad vs State 2005 CRILJ 2741** के मामले में निम्नलिखित धारित किया गया है –

"GD is a very important document which ensures the presence of the police party and the GD with which the police party went in search of criminals was not presented before the court. In the absence of GD, the Honorable High Court ac–quitted the accused, giving him the benefit of doubt."

25– **Shraddha Gupta V. State Of U.P., 2022 SCC Online SC 514** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही मात्र इस आधार पर अवैध नहीं हो जाती है कि गैंगचार्ट में एक ही एफ०आई०आर० / चार्जशीट हो, परन्तु उस एक मामले में भी धारा–2(ख) के तत्व यथा हिंसा, धमकी, भय, लोक–व्यवस्था पर प्रभाव या अनुचित आर्थिक/ भौतिक लाभ सिद्ध होने चाहिए।

26– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

27– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

28– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्त को समाज/विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Applica–tion u/s 482 No.–358 of 2024)।**

29– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्त की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

30– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्त के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्त किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

31– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

32– अभियुक्त शेरा उर्फ शेर सिंह को दाण्डिक वाद सं०–238/2006, मु०अ०सं०–44/1999, थाना–मैलानी, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33– अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रति–भूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

34– अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 30,000/– (तीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के पांच दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्याया–लय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 11–06–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11–06–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.11 17:15:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court